ई-मित्र के माध्यम से आवेदन भरने एवं आवेदन शुल्क जमा करने की प्रकिया

आबकारी विभाग, राजस्थान के मदिरा दुकानों के आवेदन ई-मित्र किओस्क के माध्यम से भी भरे जाकर वांछित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है | इस प्रकार भरे जाने वाले आवेदन की वांछित प्रक्रिया पूर्ण होने पर लॉटरी क्रमांक भी उसी समय ऑनलाइन ही जारी कर दिया जायेगा तथा ऐसे आवेदन प्रपत्र को आबकारी विभाग में जमा कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी | इसकी विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. आबकारी विभाग में आवेदन करने की प्रक्रिया को ई-मित्र पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है |
2. आबकारी विभाग के आवेदन हेतु ई-मित्र की **फीस ₹ 75/-** प्रति आवेदन निर्धारित की गई है जिसमें आवेदक के प्रपत्रों को स्कैन करना, आवेदन भरना, आवेदन शुल्क जमा करना तथा भरे गये आवेदन प्रपत्र का प्रिन्ट आवेदक को उपलब्ध कराना सम्मिलित है | ई-मित्र किओस्कधारक को उक्त फीस की रसीद भी आवेदक को देने के निर्देश हैं अतः, आवेदक को उक्त रसीद भी ई-मित्र किओस्कधारक प्राप्त करनी चाहिये |
3. ई-मित्र किओस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र किओस्क पर सम्पर्क करें |
4. ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करते समय **आवेदक को अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर ही आवेदन के साथ दर्ज कराना सुनिश्चित करना चाहिये** क्योंकि आबकारी विभाग द्वारा आवेदक को दी जाने वाली सूचनाएँ आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ही प्रेषित की जायेंगी |
5. आवेदन शुल्क जमा करने से पूर्व आवेदक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि ई-मित्र किओस्कधारक द्वारा आवेदन में दर्ज की गई समस्त सूचनाएँ उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के अनुसार सही हैं | आश्वस्त होने के उपरान्त ही ई-मित्र किओस्कधारक को आवेदन शुल्क जमा करने हेतु अनुमति देवें | आवेदन में किसी भी प्रकार की विसंगति / गलती होने के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा | अतः, चूँकि इस माध्यम से आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा होगा अतः **आवेदन शुल्क जमा होने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा और ना ही जमा किया गया आवेदन शुल्क लौटाया जायेगा** |
6. वांछित आवेदन शुल्क का भुगतान ई-मित्र द्वारा ई-मित्र पोर्टल की निर्धारित प्रक्रियानुसार ऑनलाइन किया जायेगा | भुगतान होने का सत्यापन भी ऑनलाइन ही हो जायेगा तथा सत्यापन होते ही ऑनलाइन लॉटरी क्रमांक भी जारी हो जायेगा जो कि आवेदन प्रपत्र के प्रिन्ट पर भी अंकित होगा | ई-मित्र किओस्कधारक द्वारा जमा किये गये आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा ई-मित्र किओस्कधारक को करना होगा |
7. आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आवेदक को अपने आवेदन का प्रिन्ट भी प्राप्त करना चाहिये जिसमे आवेदक का आवेदन से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं उसे जारी लॉटरी क्रमांक अंकित होगा |